

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एक 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मार्च, 2012 के तीसरे दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक एक 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 13-8/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 30 मार्च, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संचालित अथवा सहायता प्राप्त कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, नागरिकों के अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध या आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 कहलायेगा. शिक्षित नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.
 - (क) "शैक्षणिक सत्र" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष, या उसके किसी भाग की कालावधि, जिसके दौरान कोई शैक्षणिक संस्था अध्यापन के लिए अथवा अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में शिक्षण के लिए खुली हो;
 - (ख) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षा तथा इसमें सम्मिलित है, प्रो-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी), प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी), प्रो-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) या कोई अन्य परीक्षा चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;
 - (ग) "वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में अध्यापन या शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या;
 - (घ) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद, भारतीय परिचर्या परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जो किसी शैक्षणिक संस्था में उच्च शिक्षा के स्तर के अवधारण, समन्वयन अथवा संधारण के लिए हो;
 - (ङ) "अंतिम तिथि(यां)" से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन रिक्त सीटों को भरने के प्रयोजनों के लिए, शैक्षणिक सत्र में अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश की ऐसी तिथि(यां) जैसी कि राज्य सरकार या शैक्षणिक संस्था, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा घोषित की जाये;
 - (च) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है,—
 - (एक) छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;
 - (दो) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से भिन्न कोई संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर

संभारित या सहायता प्राप्त हो, तथा खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय में संबद्ध हो;

(तीन) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 मन् 1973) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था;

- (छ) "पात्र विद्यार्थी" से अभिप्रेत है ये विद्यार्थी जो अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं तथा ऐसी अर्हताएं धारित करते हैं, जैसी कि समुचित प्राधिकारी या विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा चिह्नित की जाएं अथवा जहां प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा, अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के संबंध में, अपेक्षित किए गए अनुसंग, जिन्हें पात्र घोषित किया गया हो;
- (ज) "संकाय" से अभिप्रेत है किसी शैक्षणिक संस्था का संकाय;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है नागरिकों का/के वर्ग जो समाज के संयुक्त वर्ग से संबंधित न हो, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हों, तथा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अवधारित हो;
- (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति;
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति;
- (ठ) "अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण" से अभिप्रेत है स्नातक (पूर्व-स्नातक), स्नातकोत्तर (अनु-स्नातक) एवं डॉक्टरेट स्तर पर डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण।

शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आक्षण

3.

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, **बराबर प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ;**
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, **बराबर प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी;**
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, **बराबर प्रतिशत सीटें, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी ;**

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें, पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा "विपरीत क्रम" में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के परचात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन आरक्षण को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, स्नातकोत्तर या उच्च स्तर में अध्ययन की किसी या सभी शाखाओं की वार्षिक अनुज्ञप्ति संख्या को एकीकृत कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में अध्ययन की ऐसी शाखा या शाखाओं को अकेले लेने पर ऐसा आरक्षण नहीं किया जा सकता हो।

4. (1) धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वोर्ध (वर्दीकृत) रूप से अवधारित किया जाएगा. विशेष संघर्षों के लिए शैक्षणिक आरक्षण.
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन, यथास्थिति, उर्ध्वोर्ध आरक्षण के भीतर होगा.
5. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. नियम बनाने एवं कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
- (2) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जैसा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, तथा इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन बनाया गया प्रत्येक प्रावधान, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक 2695/डी. 98/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव